



महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

website: www.gweca.ac.in
email: establishment@gweca.ac.in

Ph. No.: 0145-2695535

Fax No.: 0145-2695102

क्रमांक: म.अ.म.अ./संस्था/2024-25/2623

दिनांक: 16/01/2025

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम), वित्त विभाग (नियम अनुभाग) राजस्थान सरकार के आदेश प.13(12) वित्त (नियम),/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023 द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) लागू करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गए थे। जिसकी निरंतरता में शासन सचिव वित्त (बजट), वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक दिनांक 25.08.2023 के द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 10.09.2023 तक बढ़ा दी गयी थी, जिसकी निरंतरता में महाविद्यालय स्तर पर आदेश क्रमांक म.अ.म.अ./संस्था/2023-24/692 दिनांक 31.08.2023 द्वारा समस्त कार्मिकों से निर्धारित विकल्प पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित थी जो की आदिनांक तक अपूर्ण है।

अतः महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के भविष्य व हितों को दृष्टिगत रखते हुए जिन कार्मिकों द्वारा OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) के लिए विकल्प पत्र भरे गए हैं उनके लिए OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) लागू किये जाने की अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. श्री पुष्पेंद्र कुमार सिंह (कुलसचिव)
2. डॉ प्रशांत कृपलानी
3. डॉ श्याम सुन्दर शर्मा

उपरोक्त कमेटी इस कार्य हेतु राज्य सरकार/BTU से संपर्क स्थापित कर OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) योजना लागू करने के कार्य का संपादन सुनिश्चित करेगी तथा प्रत्येक 15 दिवस में कार्यप्रगति की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।

Jyoti
16/1/2025
(प्राचार्या)

प्रतिलिपि:-

1. आशुलिपिक - प्राचार्या महोदया को सूचनार्थ
2. निजी पत्रावली, संबंधित कार्मिक
3. प्रभारी अधिकारी, वेब साईट
4. रक्षित पत्रावली

Jyoti
(सहा. कुलसचिव)